RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0200 585827

1328700
265740
1062960

आगरा विकास प्राधिकरण ,आगरा

क्रमशः--2

V.K. Gan...

विक्रय मूल्य 1026-2600-00
पूर्ण हैसि 1423512-00

विक्रय दस्तावेज ... योग मार्ग ... 1500

(के० डी० पालीवाल)
मुख्य ...
कोषागार, आगरा

11/93

26-6-2003

उप निबन्धक ... आगरा 26-6-2003

V. K. Gupta

इस लेखपत्र के निष्पादक ... स्वीकार किया

26-6-2003

V. K. Gupta

साक्षी ... निबन्धक

26-6-2003

उप निबन्धक ...

0200 585828

(2)

द्वारा आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु

क्रमशः--3

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

02DD 585829

(3)

<u>विक्रय विलेख</u>

क्रमशः—4

[illegible] [illegible]

0200 585830

(4)

सन् 2003

क्रमशः—5

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

0200 585831

(5)

के ....मास के

अमरेश - 6

V. K. Gaur

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

02DD 585832

(6)

दिनांक .... को

क्रमशः—7

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

0200 585833

(7)

श्री बैजनाथ,

क्रमशः—8

V.K. Garun

02DD 585834

(૪)

ઉપ સચિવ.

प्रकरण—9

0200 585835

(९)

आगरा विकास प्राधिकरण

क्रमशः—10

V. K. Gu…

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0200 585836

(10)

(जिनको

क्रमशः—11

0200 585837

(11)

एतद्पश्चात

क्रमशः—12

V.K. Gane

0200 585838

(12)

"प्रथम पक्ष"

क्रमशः—13

V.K. Goreen

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

02DD 585839

(13)

कहा गया है।)

क्रमशः—14

02DD 585840

(14)

राधा माहेश्वरी

क्रमशः—15

0200 585841

(15)

सेवा संस्थान

क्रमशः—16

V.K. Gun...

0200 585842

(16)

सहकारी

क्रमशः—17

V. K. Garer

0200 585843

(17)

आवास समिति

पंजीकृत संख्या 3028

क्रमशः—18

V.K. Goel

0200 585844

(१३)

श्री विनोद कुमार गाँधी

क्रमशः—19

0200 585845

(२०)

संयोजक

क्रमशः—20

[illegible]

[illegible]

0200 585846

(20)

पुत्र श्री रामस्वरूप गाँधी

क्रमशः—21

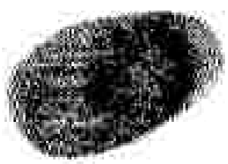

V. K. G

0200 585847

(21)

निथारी 106,

क्रमशः—22

0200 585848

(22)

पुनीत वृन्दावन

क्रमशः—23

02DD 585849

(23)

संजय प्रेस, आगरा

क्रमशः—24

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0200 585850

(२५)

तहसील सदर.

क्रमशः—25

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

02DD 585851

(25)

जिला आगरा

क्रमशः—26

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

0200 585852

(26)

(शिराको)

क्रमशः--27

0200 585853

(27)

एतद्पश्चात

क्रमशः—28

V.K. Gyan...

02DD 585854

(28)

" द्वितीय पक्ष "

क्रमशः—29

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

01DD 545072

(29)

कहा गया है।)

क्रमशः—30

क्रेता

0JDD 545073

(30)

के मध्य

क्रमशः–31

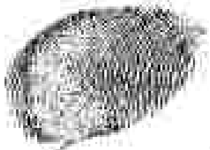

V.K. Gomer

0100 545074

(31)

निष्पादित

क्रमशः—32

0100 545075

(32)

किया जाता है ।

क्रमशः—33

0100 545076

(33)

और चूंकि

क्रमशः–34

0JDD 545077

(34)

इस विलेख

क्रमशः—35

0100 545078

(35)

की अनुसूची

क्रमशः—36

0100 545079

(३६)

में निर्दिष्ट

क्रमशः—37

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

RUPEES 25000 रुपये

01DD 545080

(37)

भूमि द्वितीय पक्ष

क्रमशः—38

0100 545081

(३८)

को आवंटित

क्रमशः—39

0100 545082

(39)

दूसरा भाग

क्रमशः—40

V.K. [illegible]

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

01DD 545083

(40)

आगे अभिव्यक्त

क्रमशः—41

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0100 545084

(41)

अधिकारी एवं

क्रमशः—42

क्रेता

V.K. [redacted]

01DD 545085

(42)

शर्तो के अधीन

क्रमशः—43

01DD 545086

(43)

अनुसूची में

क्रमशः—44

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

पच्चीस हजार रुपये

0100 545087

(44)

निर्दिष्ट भूखण्ड /

क्रमशः–45

V.K. G...

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

01DD 545088

(45)

भूखण्ड सहित भवन

क्रमशः—46

01DD 545089

(46)

का स्वामित्व

क्रमशः--47

0JDD 545090

(47)

रु0 1,15,63,600=00

क्रमश:—48

V.K. Goswami

01DD 545091

(46)

(शब्दों में रुपया एक करोड़ अठारह [illegible] हजार [illegible] एवं पैसे केवल) क्रमशः—49

V. K. [illegible]

01DD 545092

(49)

के एवज में

क्रमशः—50

01DD 545093

(50)

द्वितीय पक्ष

क्रमशः—51

01DD 545094

(51)

को हस्तान्तरित

क्रमशः—52

02CC 418302

(52)

किया जाता है 1

क्रमशः—53

01BB 673239

(53)

और चूंकि

क्रमशः—54

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs. 10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000
दस
हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000
RUPEES
TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

02AA 208914

(54)

प्रथम पक्ष द्वारा

क्रमशः--55

5000Rs

(55)

द्वितीय पक्ष

क्रमशः—56

1000Rs

(56)

को अनुसूची

क्रमशः—57

1000Rs.

में वर्णित भूखण्ड /

क्रमशः—58

V. K. G...

1000Rs

भूखण्ड सहित भवन .... का

क्रमशः—59

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

(59)

स्वामित्व आवासीय / ग्रुप हाउसिंग / वाणिज्यिक प्रयोजन

प्रपत्र—८

100Rs.

(60)

हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है ।

क्रमशः—61

V.K. G[illegible]

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

द्वारा आवंटित भूमि/भूमि सहित भवन का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु

विक्रय विलेख

[illegible] सचिव, आगरा

अत: [illegible] है कि .... आज के दिनांक .... [illegible] सचिव, आगरा

विकास प्राधिकरण (जिसको एतद्पश्चात "प्रथम पक्ष" कहा गया है) तथा

~~श्री/श्रीमती/कुमारी~~ मोहे इलरी सेवा संस्थान सहकारी आवास समिति

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... श्री [illegible] कुमार [illegible] की कार्यालय, [illegible] 620[illegible] 3030

श्री [illegible]

निवासी .... 106 [illegible] [illegible] रोड [illegible]

तहसील .... सदर .... जिला .... आगरा .... निवासी

(अग्रपश्चात "द्वितीय पक्ष" कहा गया है) [illegible] निष्पादित किया जाता है।

और चूंकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि/~~भूमि सहित भवन~~ द्वितीय पक्ष को आवंटित हुआ था।

अतः अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/~~भूखण्ड सहित भवन~~ का स्वामित्व

रु. 11862600/- (शब्दों में रुपया एक करोड़ अठारह लाख बासठ हजार [illegible]

दि: [illegible] .... पैसे मात्र) के बदले में द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित

किया जाता है।

और चूंकि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/~~भूखण्ड सहित भवन~~ [illegible]

का स्वामित्व आवासीय/~~ग्रुप हाउसिंग/व्यावसायिक~~ प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है।

और चूंकि जनपद आगरा की महायोजना/आस-पास की भूमि के उपयोग के आधार पर अनुसूची में उक्त

वर्णित भूखण्ड/~~भूखण्ड सहित भवन~~ का, आवासीय/~~ग्रुप हाउसिंग/व्यावसायिक~~ उद्देश्य हेतु आवंटित किया जाता है।

अत: द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची [illegible] उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट/आस-पास की भूमि के

भू-उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा [illegible] अतिरिक्त उपयोग नहीं किया जायेगा।

अत: उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के [illegible] पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना

और विकास अधिनियम, 1973 सपठित शासनादेश संख्या 1639/9आ-1-95-80 विविध/86 दिनांक 10 मई

1995 तथा शासनादेश संख्या 1778/9आ-1-95-80 विविध/86 दिनांक 24-5-95 के अनुसरण में निम्नांकित

दर दिये, जाती है कि अनुसूची में वर्णित ~~भूमि सहित भवन~~/भूखण्ड का स्वामित्व द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित

V.K. G[illegible]

आगरा [illegible]

किये जाने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रु. 11862600=00 (रुपये ग्यारह लाख बासठ हजार छः सौ [illegible] केवल) [illegible] जिसका चैक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक चालान संख्या [illegible] द्वारा किये गये भुगतान (जिसका सत्यापन लेखा विभाग द्वारा किया जा चुका है व प्राप्ति प्रथम पक्ष एतद् द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफल स्वरूप तथा आगे वर्णित प्रतिविदाओं और शर्तों जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर प्रथम पक्ष एतद्द्वारा वह सब भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख में संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, फ्री-होल्ड रूप में द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्रदान करते हैं अर्थात द्वितीय पक्ष उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित ~~भूखण्ड/भूमि सहित भवन~~ पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रचलित विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगा। किन्तु भूखण्ड को बिना भवन निर्मित किये हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा। भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा। V.K. Gupta

भूखण्ड के मूल्य को 50% अवशेष धनराशि रु. .... को 2 वर्ष की 8 समान तिमाही किश्तों में 21% ब्याज सहित जमा करना होगा, जिसकी प्रथम तिमाही किश्त दिनांक .... को देय होगी एवं प्रत्येक किश्त का धनांक .... है। किश्त का भुगतान विलम्ब से करने की दशा में 24% विलम्ब ब्याज देय होगा। V.K. Gupta

आवंटी को भूखण्ड का कब्जा [illegible] या विक्रय विलेख में निष्पादन की तिथि, जो भी बाद में हो, से पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न करने की दशा में यथाव्यवस्था, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनिर्माण लेवी की धनराशि लेकर अधिकतम पाँच वर्ष का समय दिया जा सकेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर दोनों पक्षों या उनके दावेदारों के बीच कभी भी कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास विभाग को सन्दर्भित किया जायेगा। जिस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

V.K. Gupta

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या, प्रसंगों से असंगत न हो, "प्रथम पक्ष" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा "द्वितीय पक्ष" में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा ।

इस विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत/अधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है ।

विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

भूखण्ड संख्या ग्रुप हा-7 R-1 स्थित मोहल्ला आशीष (न योजना) कुल रकबा 13,600 वर्ग मी. जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरब : PLOT NO. R-2

पश्चिम : 40' WIDE Road

उत्तर : 100' WIDE Road

दक्षिण : 40' WIDE Road

फ्री-होल्ड के लिए द्वितीय पक्ष ने सम्पूर्ण धनराशि रुपया 1423512=10 प्राधिकरण कोष में चालान संख्या विविध चालानों द्वारा दिनांक .... द्वारा जमा कर दी है ।

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

V.K. Gu...

नाम :

पता :

साक्षी-(1)

साक्षी-(2)

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण

की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

100Rs.

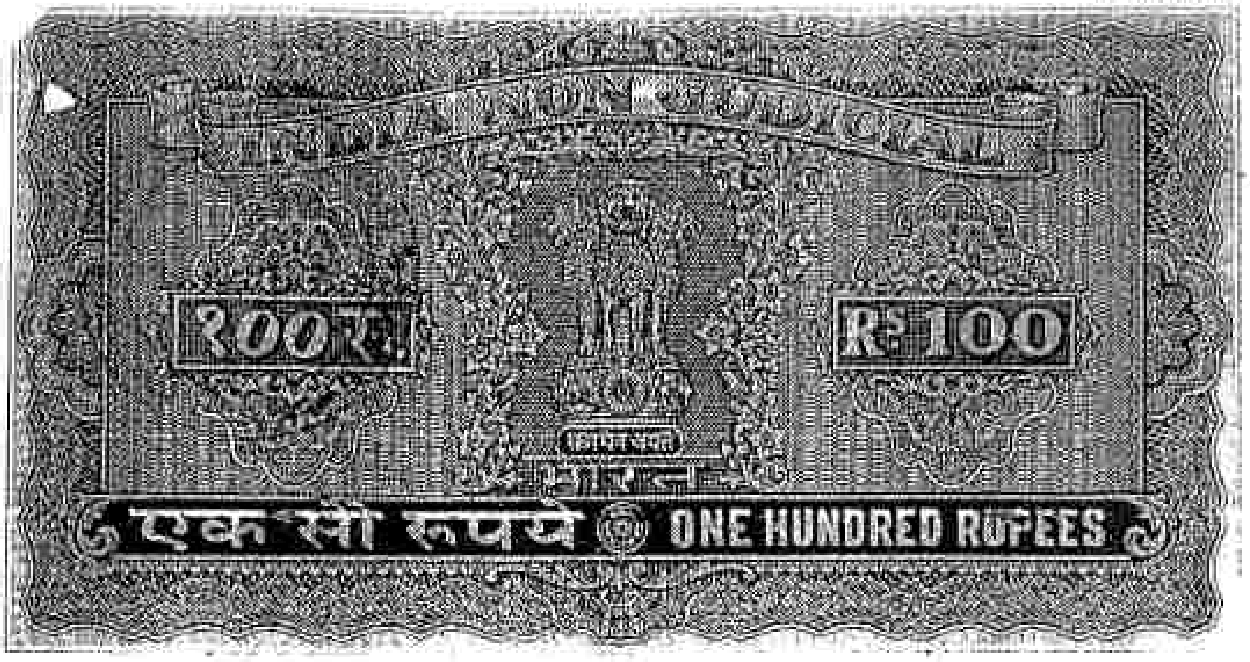

(61)

और चूँकि जनपद आगरा की महायोजना / आस पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भूखण्ड / भूखण्ड सहित भवन का , आवासीय / ग्रुप हाउसिंग / वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाता है ।

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट / आस पास की भूमि के भू–उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा व कोई प्रदूषणकारी अथवा अनैतिक उपयोग नहीं किया जायेगा ।

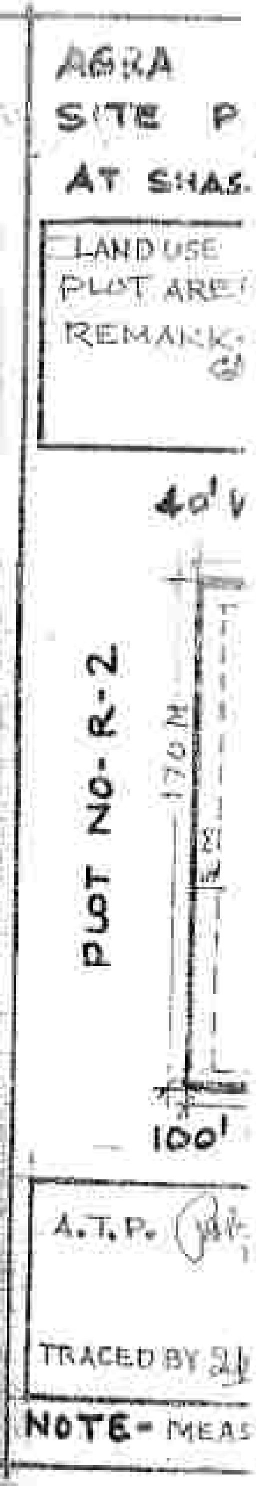

AGRA
SITE P
AT SHAS.
LAND USE
PLOT ARE
REMARK
40' W
PLOT NO-R-2
100'
A.T.P.
TRACED BY
NOTE- MEAS

24-6-03

AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY

SITE PLAN OF P. NO.- R-1 FOR BULK SALE

AT SHASHTRI PURAM SECTOR-D.

LAND USE RESIDENCIAL PLOT AREA- 13600 M^2 REMARK- 100' WD. ROAD FACING & CORNER PLOT	BOUNDARIES:- NORTH- 100' WIDE ROAD. SOUTH- 40' WIDE ROAD. EAST- PLOT NO- R-2. WEST- 40' WIDE ROAD.

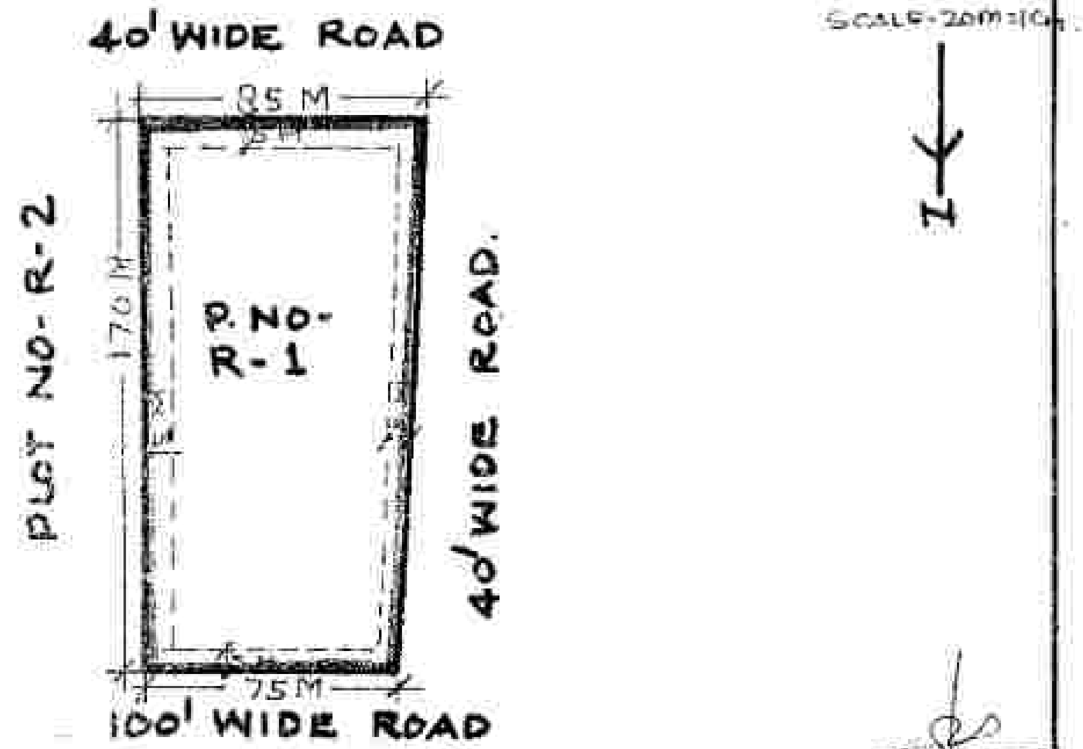

A.T.P.	A.E.	SELLER
TRACED BY	J.E.	PURCHASER

NOTE- MEASURMENT AND AREA GIVEN BY J.E. AS PER SITE.